न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–07/2014–15

जीतेन्द्र प्रसाद **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद जीतेन्द्र प्रसाद, पिता स्व0 धरीक्षण साव, वार्ड सं0 6, थाना–दानापुर, जिला–पटना जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 37/07(रद्द) ने अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 277(आ0) दिनांक 22.02.2013 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश की कंडिका–15 के अंतर्गत दिनांक 26.04.2014 को दायर किया है।

दिनांक 26.04.2014 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनकर वाद प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए, अगली तिथि 03.07.2014 निर्धारित की गई। दिनांक 03.07.2014 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ।

दिनांक 08.03.2018 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अपीलकर्ता ने अपील आवेदन में अंकित किया है कि अपीलकर्ता एक गरीब व्यक्ति है। उनका जीविकोपार्जन जन वितरण प्रणाली की दुकान है। वे वर्ष 1988 से दुकान चला रहे हैं एवं उनके विरूद्ध कभी किसी उपभोक्ता द्वारा शिकायत नहीं की गयी, उनका कथन है कि सम्बन्धित क्षेत्र के पूर्व वार्ड पार्षद उनके विरोधी है एवं वे उनके विरूद्ध आरोप लगाते है। उनकी प्रताड़ना से बचने के लिए वे जन वितरण प्रणाली संघ से जुड़े है एवं संघ के कैशियर के पद पर है। उनका कथन है कि दिनांक 11.02.2014 को अपीलकर्ता के विरूद्ध आरोपों की जांच उनकी अनुपस्थिति में की गयी। वे सूचना मिलने पर बीमार रहने के बावजूद अपने पुत्र के साथ दुकान पर पहुँचे, परन्तु दुकान की चाभी साथ में नहीं रहने के कारण दुकान नहीं खोल सका। जांच पदाधिकारी के द्वारा उन्हें जांच में पाए गए तथ्यों की जानकारी नहीं दी गयी एवं सादा कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया गया। अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछे बिना एवं सुनवाई का मौका दिये बिना उनकी अनुज्ञप्ति सं0 37/07 को रद्द कर दिया गया। उनके द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए, अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए कहा गया कि उनसे स्पष्टीकरण पूछे बिना अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है, जो नियमसंगत नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन देकर सभी कागजात दिनांक

25.03.2014 को प्राप्त किया। जिससे उन्हें ज्ञात हुआ है कि जांच में उनके विरूद्ध कार्डधारकों को कैशमेमों नहीं दिये जाने एवं बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय कूपनधारी को सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न दिये जाने का आरोप मुख्यतः लगाया गया है। उनका कहना है कि कैशमेमों की कार्बन कॉपी से स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं द्वारा उसे प्राप्त किया गया है। उनका कथन है कि खाद्यान्न वितरण में अपीलकर्ता द्वारा सरकार के किसी भी आदेश का उल्लघंन नहीं किया गया है। उनके विरोधी लोगों के मेल में आकर एक साजिश के तहत उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है। अंत में उनके द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 277(आ0) दिनांक 22.02.2014 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी (राज्य) विशेष लोक अभियोजक, पटना का कहना है कि पणन पदाधिकारी, दानापुर द्वारा दिनांक 13.09.2013 को अपीलकर्ता की जन वितरण प्रणाली की दुकान की जांच के दौरान निम्नांकित अनियमितताएँ प्रतिवेदित की गयी थी :—

(1) निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा जांच हेतु सूचना देकर जाने के वाद भी दुकान बंद रखना।

(2) सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा/दर पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल के लाभुकों को न देकर अपने मर्जी से मनमानी ढंग से वितरण करना।

(3) बी0पी0एल0 लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण बीस किलो ग्राम करना, जो कि निर्धारित मात्रा से पांच किलोग्राम कम है।

(4) सरकार द्वारा निर्धारित किरासन तेल की मात्रा 2.25 लीटर के स्थान दो लीटर ही दिया जाना।

(5) अन्त्योदय लाभुकों के बीच सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा पैंतीस किलोग्राम के स्थान पर लाभुकों को तीस किलोग्राम ही दिया जाना।

(6) लाभुकों को कैशमेमों नहीं दिया जाना।

उपरोक्तों आरोपों के सम्बन्ध में अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा ज्ञापांक 977(आ0) दिनांक 24.10.2013 से स्पष्टीकरण की मांग बिक्रेता से किया गया। बिक्रेता द्वारा दिनांक 06.11.2013 को अपना पक्ष समर्पित किया गया। बिक्रेता से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के ज्ञापांक 1134(आ0) दिनांक 28.11.2013 द्वारा पुनः उक्त दुकान की जाचं हेतु एक टीम गठित की गयी। जाँच दल द्वारा दिनांक 11.02.2014 को संयुक्त प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इस प्रकार अपीलकर्ता का यह कथन कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया निराधार है। अपीलकर्ता का यह कथन है कि वे आधे घंटे में जांच दल के समक्ष उपस्थित हुए, परन्तु चाभी नहीं रहने के कारण दुकान नहीं खोल सके अविश्सनीय है एवं मनगंढत है। सूचना मिलने पर बिना चाभी के दुकान पर जांच दल के समक्ष उपस्थित होने का कोई औचित्य नहीं है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा अपीलकर्ता के स्पष्टीकरण एवं पुनः जांच के पश्चात जांच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा अपील

आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्क के परिशीलन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा अपीलकर्ता से प्रतिवेदित अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया एवं उनके स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, पुनः जाँच हेतु एक कमेटी गठित की गयी। जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में अनिमितताओं की पुनरावृर्ति की स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है। यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के द्वारा बरती गयी अनियमितता सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 एवं सम्प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों का उल्लघंन है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 277(अनु0) दिनांक 22.02.2014 का आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

26/4/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

26/4/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।